न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **191/17 (वाद)**

GCMS No. : 2017/00547

1. श्रीमती राजकुंवर पुत्री भंवरनाथ पत्नी तख्तसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा नूरडा तहसील मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।मृतक
2. श्री मदननाथ पिता गमेरनाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
3. रेखा पुत्री जीवननाथ नाबालिग बविलायत माता मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
4. रविना पुत्री जीवननाथ नाबालिग बविलायत माता मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
5. श्रीमती मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
8. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादीया।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेडिया खेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281, 663/286 किता 17 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा (जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज था) एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारान के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/80 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ (मूल पुरूष, फौत)

भंवरनाथ,पुत्र,फौत | मेघनाथ,पुत्र | मदननाथ,पुत्र | फतहनाथ,पुत्र

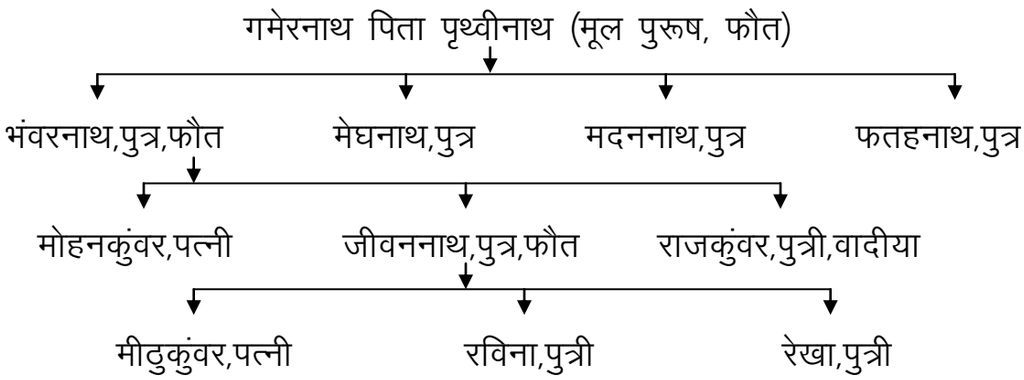

(भंवरनाथ) → मोहनकुंवर,पत्नी | जीवननाथ,पुत्र,फौत | राजकुंवर,पुत्री,वादीया

(जीवननाथ) → मीठुकुंवर,पत्नी | रविना,पुत्री | रेखा,पुत्री

उक्त सजरे अनुसार मुझ वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मूल पुरूष गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ जी थे जिनके चार पुत्र भंवरनाथ, मेघनाथ, मदननाथ, फतहनाथ हुए हैं। पुत्र भंवरनाथ का निधन हो चुका हैं जिसके वारिस मोहनकुंवर–पत्नी, जीवननाथ–पुत्र, राजकुंवर–पुत्री हैं। जीवननाथ का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस मीठुकुंवर–पत्नी, रविना, रेखा पुत्रीयां हैं। जो सभी इस मामले में पक्षकार हैं।

3. यह कि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित आराजीयात जो पूर्व में हमारे मौरूस गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदार हक से दर्ज थी। चूंकि गमेरनाथ जी के जीवनकाल में ही मुझ वादीयां के पिता भंवरनाथ का स्वर्गवास हो चुका था। इसलिए गमेरनाथ जी के निधनोपरान्त उनके पुत्र मेघनाथ, मदननाथ, फतहनाथ के साथ भंवरनाथ के वारिसान मोहनकुंवर, जीवननाथ के नाम पर र[illegible] हो[illegible]रासत के नामान्तरकरण के जरिए अंकित हुए। जिससे उक्त वर्णित कृषि [illegible] में मुझ वादीयां की पैतृक सम्पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadra
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

होकर मुझ वादीयां को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुका हैं और उक्त भूमि में मैं वादीया अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं।

4. यह कि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता/पति जीवननाथ ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर मुझ वादीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय भंवरनाथ के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता/पति जीवननाथ ने अपने नाम ही अंकन करवा दी जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है जबकि मैं वादीया स्वर्गीय भंवरनाथ जी की जायन्दा पुत्री हूं और अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज हो काश्त कर रही हूं किन्तु उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता/पति जीवननाथ के नाम पर दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने परिशिष्ट 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज 1/8 हिस्सा को नुमाईशी दान पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व अधिकारियों से साठ गाठ कर नुमाईशी दान पत्र के जरिए उक्त भूमि को अपने नाम पर भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये सभी हस्तान्तरण अवैध होकर मुझ वादीयां के मुकाबले में शून्य एवं निष्प्रभावी है और इससे मेरे हक प्रभावित नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अब अपने नाम अंकित भूमियों को भी हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादीया वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित आराजीयात में अपने हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। इसलिये यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादीयां को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गया है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर उक्त पैतृक कृषि भूमि को अपने नाम पर ही दर्ज करा दिया है जबकि मुझ वादीयां का उक्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से अपने हिस्से का कब्जा चला आ रहा है और मैं वादीयां स्वर्गीय भंवरनाथ की जायन्दा पुत्री हूं लेकिन उक्त पैतृक कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundir
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

निहित मेरा हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 आपस में मिलीभगत मुझ वादीयां को अपने हिस्से की भूमि में खेती करने में रूकावट पैदा कर रहे है और अपने नाम दर्ज कुलिया जमीन अन्य को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दे रहे है और मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए मैं वादीयां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मुझ वादीयां को अपने हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीयां के पक्ष में हैं।

6. यह कि वादीयां को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व वाद कारण दिनांक 23.07.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने मुझ वादीयां को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 क नाम दर्ज भूमि में एवं परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मुझ वादीयां को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर मुझ वादीयां के नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें। वादीयां के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित आराजीयात में वादीयां को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीयां को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की [illegible] न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राज[illegible] रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundalia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से हस्तान्तरित कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करा देवे तो पुनः वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 फौत होने से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीया के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 स्वयं वादीयां राजकुंवर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा रेडियाखेडी की नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 की खाता संख्या 96 पेज 1 से 2 प्रदर्श 1, खाता संख्या 35 प्रदर्श 2, खाता संख्या 36 प्रदर्श 3, मौजा काजियावास पटवार हल्का उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 की खाता संख्या 93 प्रदर्श 4 करवाये गये।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम रेडिया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281, 663/286 किता 17 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में मेघनाथ, मदननाथ, फतहनाथ पिता गमेरनाथ 3/4, रेखा रवीना पिता जीवननाथ, मीठूकुंवर पत्नी जीवननाथ, रेखा, रविना ना.बा.ब.वि. माता मिठु कुंवर 1/8 मु. मोहन कुंवर बेवा भंवरनाथ 1/8 [illegible] सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 376 दिनांक 20.02.[illegible] दान पत्र से मु. मोहनकुंवर बेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puradia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

भंवरनाथ 1/8 हिस्सा राजपूत के बजाय श्री मदननाथ पिता गमेरनाथ 1/8 हिस्सा राजपुत निवासी रेडिया खेड़ी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

इसी प्रकार खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि मेघनाथ, मदननाथ, फतेहनाथ पिता गमेरनाथ 3/40, रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ, रेखा, रविना ना.बा.ब.वि. माता मिठु कुंवर 1/80 मु. मोहनकुंवर बेवा भंवर नाथ 1/80 दर्ज रिकॉर्ड है शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

इसी प्रकार खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा भूमि मेघनाथ, मदननाथ, फतेहनाथ पिता गमेरनाथ, रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ, रेखा, रविना ना.बा.ब.वि. माता मिठु कुंवर, मु. मोहनकुंवर बेवा भंवर नाथ दर्ज रिकॉर्ड है शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम रेडिया खेड़ी पटवार हल्का बांसलिया के नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 26.01.2001 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में जीवननाथ पिता भंवर नाथ के नाम दर्ज थी। जो उक्त विरासत नामान्तरकरण संख्या 179 से जीवननाथ के वारिसान के नाम दर्ज हुई।

प्रकरण में वर्णित सजरे का अवलोकन किया गया। सजरे अनुसार गमेरनाथ के चार पुत्र भंवरनाथ, मेघनाथ, मदननाथ, फतहनाथ है। भंवरनाथ फौत होना बताया है। जिसके वारिस पत्नी मोहनकुंवर, पुत्र जीवननाथ, पुत्री राजकुंवर है। जीवननाथ भी फौत हो चुका है जिसके वारिस पत्नी मिठु कुंवर, पुत्री रविना एवं रेखा होना बताया है। सजरे अनुसार वादीया भंवरनाथ की पुत्री है। विरासत के नामान्तरकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पिता भंवरनाथ का निधन मूल पुरूष गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ के निधन से पूर्व हो गया था। जिसके कारण गमेरनाथ की विरासत में भंवरनाथ के बजाय सीधे ही भंवरनाथ के वारिसान का हिस्सा दर्ज हुआ। जिसमें वादीया का नाम अंकित नही किया गया। प्रकरण मुख्य रूप से विवाद गमेरनाथ के पुत्र भंवरनाथ के हिस्से भूमि तक है। वादीया द्वारा अपने आप को भंवर नाथ की पुत्री होना बताया है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रदर्श 4 का अवलोकन किया गया जो ग्राम काजिवास पटवार हल्का उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 93 पर अंकित नोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण संख्या 218 दिनांक 21.11.2013 विरासत से गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ के बजाय मेघनाथ, मदननाथ, फतेहनाथ, सज्जन कुंवर पिता गमेरनाथ, राजकुंवर पिता भंवरनाथ, मोहन कुंवर बेवा भंवरनाथ, रविना, रेखा पिता जीवननाथ ना.बा.ब.वी. माता मीठु कुंवर बेवा जीवननाथ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। उक्त विरासत के नामान्तकरण के अनुसार वादीया भंवरनाथ की पुत्री होना साबित होती है। प्रकरण में विवाद केवल मात्र भंवरनाथ की सम्पति तक है। खातेदार गमेरनाथ पिता पृथ्वीनाथ के निधन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि को विरासत का नामान्तरकरण संख्या 168 राजस्व कर्मचारियो द्वारा पारित कर प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज की गई, परन्तु खातेदार के पुत्र भंवरनाथ का निधन अपने पिता गमेरनाथ से पूर्व हो जाने के कारण उक्त विरासत में भंवरनाथ के वारिसान के नाम दर्ज की गई। जिसमें भंवरनाथ की पुत्री वादीया राजकुंवर का नाम अंकित नही किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निहित सम्पूर्ण भूमि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र, पुत्री एवं पत्नी में निहित होती है। यदि किसी पुत्र का भी निधन हो गया हो तो उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी में निहित होती है। इस प्रकरण में भी खातेदार गमेरनाथ के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान में निहित हुई। परन्तु गमेरनाथ के पुत्र भंवरनाथ का निधन पहले ही हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके पुत्र, पुत्री एवं पत्नी में निहित हुई। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा भंवरनाथ की पुत्री राजकुंवर का नाम विरासत के दर्ज नही कर भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

663/286 किता 17 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में मदननाथ पिता गमेरनाथ के नाम 3/8 हिस्से से, रेखा, रवीना पिता जीवननाथ, मीठूकुंवर पत्नी जीवननाथ, के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/12 हिस्से का, मदननाथ पिता गमेरनाथ के नाम 1/3 हिस्से का, रेखा, रवीना पिता जीवननाथ, मीठूकुंवर पत्नी जीवननाथ को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/80 हिस्से से तथा मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/80 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/120 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/120 हिस्सा एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/120 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा भूमि रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/40 हिस्से से एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवर नाथ के नाम 1/40 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/60 हिस्सा एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/60 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती राजकुंवर पुत्री भंवरनाथ पत्नी तख्तसिंह राजपूत निवासी झालों का ढाणा नूरडा तहसील मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।मृतक
2. श्री मदननाथ पिता गमेरनाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
3. रेखा पुत्री जीवननाथ नाबालिग बविलायत माता मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
4. रविना पुत्री जीवननाथ नाबालिग बविलायत माता मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
5. श्रीमती मीठुकुंवर पत्नी जीवननाथ राजपूत निवासी रेडिया खेडी तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
8. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 191/17 (वाद) GCMS No. – 2017/00547

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281, 663/286 किता 17 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में मदननाथ पिता गमेरनाथ के नाम 3/8 हिस्से से, रेखा, रवीना पिता जीवननाथ, मीठूकुंवर पत्नी जीवननाथ, के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/12 हिस्से का, मदननाथ पिता गमेरनाथ के नाम 3/3 हिस्से का, रेखा, रवीना पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested

जीवननाथ, मीठूकुंवर पत्नी जीवननाथ को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/80 हिस्से से तथा मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/80 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/120 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/120 हिस्सा एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/120 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा भूमि रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/40 हिस्से से एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवर नाथ के नाम 1/40 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया राजकुंवर पिता भंवरनाथ को 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा रेखा, रविना पिता जीवननाथ, मु. मीठु कुंवर पत्नी जीवननाथ के नाम संयुक्त रूप से 1/60 हिस्सा एवं मु. मोहनकुंवर बेवा भंवरनाथ के नाम 1/60 हिस्सा यथावत रहेगा। शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:35 IST
Reason: SelfAttested